Telangana Today- 27- November-2021

Parts of TN under water again

CHENNAI

The India Meteorological Department has issued a red alert in five districts of Tamil Nadu after heavy rains on Thursday pounded the southern part of the State leading to inundation and waterlogging.

Ramanathapuram, Thoothukudi, Tirunelveli, Puduokottai, and Nagapattinam districts are witnessing heavy rainfall with roads and rails being submerged in water. Several residential areas and hamlets are under the water and schools and colleges will remain closed.

On Thursday, Thoothukudi recorded a whopping 25 cm of rains till evening and heavy rains continued to lash the district on Friday morning. Flights were redirected to the neighbouring Tiruchi airport due to poor visibility and bad weather conditions in Thoothukudi. Train services were hit as tracks were submerged in water. Rivers and streams are overflowing and heavy rains with lightning and thundering hitting several southern States, including Thoothukudi, Tirunelveli, Dindugal, Ramanathapuram, Pudukottai, and Nagapattinam districts. According to IMD, heavy to very heavy rains will continue till Monday. Flash floods were reported near the Courtallam waterfalls. IANS

Motorists riding a scooter wade through a waterlogged road after heavy rain near Marina Beach, in Chennai. —Photo: PTI

The Tribune- 27- November-2021

NOC must for groundwater extraction

CHANDIGARH, NOVEMBER 26

Concerned over depleting groundwater level, Haryana Water Resources Authority (HWRA) chairperson Keshni Anand Arora today directed all industrial units to obtain no-objection certificate (NOC) for extraction of groundwater.

Arora said the HWRA was working on a comprehensive plan to get rid of the problem and all industrial units should ensure their participation in it. The last date to apply for the NOCs is November 30. Presiding over a workshop today, Arora asked the industrial units through video-conferencing to ensure maximum utilisation of waste water. — TNS

Dainik Jagran- 27- November-2021

गंगा में अपशिष्ट प्रवाह रोकने को समिति गठित

नई दिल्ली, एएनआइ : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कानपुर के जाजमऊ या अन्य ऐसी जगहों पर गंगा में क्रोमियम या अन्य अपशिष्ट का प्रवाह रोकने के लिए पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की है। एनजीटी ने कहा है, 'हमने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की है। इसमें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमसीजी), उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नामित और कानपुर देहात एवं कानपुर नगर के जिलाधिकारी शामिल होंगे।'

ट्रिब्यूनल ने कहा है कि सीपीसीबी व राज्य पीसीबी संयुक्त रूप से नोडल एजेंसी की तरह काम करेंगे। दो सप्ताह में समिति बैठक कर सकती है। इसमें उपचार कार्रवाई के लिए योजना तैयार की जाएगी। एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने 31 मार्च 2022 तक अनुपालन पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल कराने को कहा। पीठ ने कहा, 'योजना का परिणाम डंप स्थलों के उपचार में दिखने के साथ ही जाजमऊ या अन्य ऐसी जगहों पर गंगा में क्रोमियम या अन्य अपशिष्ट का प्रवाह रुक जाना चाहिए।'

Hindustan- 27- November-2021

रानिया और राखी मांडी में अनुमान से तीन गुना ज्यादा क्रोमियम कचरा जमा, भूजल को प्रदूषित करने के साथ ही लोगों की सेहत पर असर डाल रहा

कानपुर में क्रोमियम कचरे से गंगा मैली, एनजीटी सख्त

नई दिल्ली | प्रभात कुमार

कानपुर के रानिया और राखी मांडी में अनुमान से तीन गुना ज्यादा क्रोमियम कचरा मौजूद है। लगभग 45 वर्षों से जमा इस कचरे से न सिर्फ गंगा मैली हो रही है, बल्कि भूजल के जहरीला बनने से लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। कई आदेशों के बावजूद क्रोमियम कचरा नहीं हटाए जाने को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है।

एनजीटी प्रमुख जस्टिस एके गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्रोमियम कचरा हटाने और गंगा को प्रदूषित होने से बचाने के लिए तैयार कार्ययोजना के क्रियान्वयन की निगरानी में पूरी तरह से नाकाम रहा है। क्रोमियम कचरे की समस्या 1976 से ही बनी हुई है। सक्षम प्राधिकार और अधिकारियों की ओर से इससे निपटने में पर्याप्त गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। क्रोमियम कचरे से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

पीठ के मुताबिक सीईटीपी और सीसीआरपी के तय मानदंडों का पालन नहीं होने के कारण गंगा में जहरीले क्रोमियम का रिसाव हो रहा है। इसके लिए मुख्य सचिव के स्तर पर त्वरित कार्रवाई की जरूरत है। समस्या को गंभीरता से लेते हुए यूपी के मुख्य सचिव की अगुवाई में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। यह समिति कानपुर देहात के रानिया और कानपुर नगर के राखी मांडी से क्रोमियम कचरा हटाने, चमड़ा उद्योगों से निकलने वाले जहरीले व दूषित पानी के शोधन तथा नदी, भूजल व पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए तय सुधारात्मक कार्यों की निगरानी करेगी।

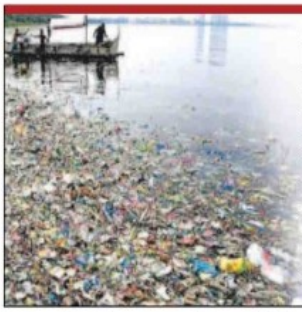

कितना कचरा मौजूद

राष्ट्रीय हरित अधिकरण में पेश रिपोर्ट में कहा गया है कि रानिया और राखी मांडी में 122800 घन मीटर क्रोमियम कचरा जमा है। यह अनुमान आईआईटी कानपुर ने अपने सर्वे में लगाया है। पहले, सीपीसीबी ने दोनों जगहों पर 37712 घन नीटर क्रोमियम कचरा मौजूद होने का अनुमान लगाया था। इसी के आधार पर कचरे को हटाने से जुड़ी कार्ययोजना तैयार की गई थी।

निगरानी समिति का स्वरूप

एनजीटी की ओर से गठित समिति में यूपी के मुख्य सचिव के अलावा केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, सीपीसीबी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कानपुर नगर और कानपुर देहात के जिलाधिकारी भी इसका हिस्सा होंगे। पीठ ने समिति को दो हफ्ते में बैठक करने और कार्य की निगरानी शुरू करने का निर्देश दिया है।

क्या है क्रोमियम

क्रोमियम एक रासायनिक तत्व है जो चमकीला व सलेटी-भूरे रंग का होता है। यह चमकीला होता है और आसानी से टूट जाता है। मगर यह आसानी से गलता नहीं है। यह 1100 डिग्री से ऊपर के तापमान पर गलता है। चमड़ा और स्टेनलेस स्टील बनाने में इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है।

कहां से निकलता है क्रोमियम कचरा

क्रोमियम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल लेदर अथवा चमड़ा के अलावा, इस्पात क्रोम प्लेटिंग, पेंट विनिर्माण, लकड़ी संरक्षण में भी इसका उपयोग होता है।

चर्म रोग व कैंसर का खतरा: क्रोमियम से सांस की बीमारी, चर्म रोग, कैंसर प्रजनन से जुड़े रोग हो सकते हैं।